यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
ासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
दमा नम्बर 295/2024 प्रार्थनापत्र
01. देवा पुत्र श्री लच्छु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– भभाणा पटवार हल्का भभाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

01. राजू लाल पुत्र श्री उदा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– सुनारिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

स्थित :–
श्री मुकेश सिंह तंवर —अधिवक्ता प्रार्थी
एकपक्षीय — विपक्षी संख्या 01
पेरोकार सरकार —विपक्षी संख्या 02

:: निर्णय ::

दिनांक—15.09.2025

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरुद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 नेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद भभाणा पटवार हल्का भभाणा तहसील करेड़ा जिला लवाड़ा मे आराजी नम्बर 855/1 रकबा 0.4806 हैक्टयर स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चली आ ो है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि विपक्षी संख्या 01 की राजी नम्बर 1307/877 से होकर आता जाता है, उक्त रास्ता 20 फीट चौडाई के रास्ते दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन स तामिल होने के पश्चात विपक्षी की ओर उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की । प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से ई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौक ा रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

। कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , सज बैलगाड़ी एवं कृषि उपकरण लाने
जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है।
सीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद भमाणा पटवार हल्का
णा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 855/1 प्रार्थी के नाम दर्ज
र्ड है। सरहद भमाणा पटवार हल्का भमाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे
क्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1307/877 जो कि विपक्षी संख्या 01 एक के दर्ज रकबे,
के पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। मौका
र्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी नम्बर 855/1 मे आने जाने हेतु आराजी नम्बर 880 मे भू
क से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1307/877 मे से 0.0854 हेक्टयर भूमि
णी मेड पर 3.66 मीटर (12 फीट) चौड़ाई मे रास्ते के रूप मे कुल 0.0854 हेक्टयर डी.एल.सी.
ी है, जो निकटतम रास्ता है, जो रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य
की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन
या , प्रार्थी की आराजी नम्बर 855/1 मे आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी
ख्या 1307/877 की दक्षिणी मेड मे से 12 फीट चौडाई यानि 3.66 मीटर चौडाई मे रास्ता
लाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र
कार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद भमाणा पटवार हल्का भमाणा
सील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 855/1 मे आने जाने हेतु विपक्षी
ख्या 01 की आराजी नम्बर 1307/877 की दक्षिणी मेड मे से 12 फीट चौडाई यानि 3.66
र चौडाई मे रास्ते के रूप (मौका पर्चा रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित भू नक्शे मे
र्शातानुसार) मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा
भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की
ी है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी
जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0854 हेक्टयर रास्ते की भूमि की डी.
सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 01 को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की
।

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)